उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 07/2022/ 1589851/12-2099/7/2022
लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-105-खाद तथा उर्वरक-04-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू. 20.00 लाख (बीस लाख रूपए मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत धनराशि के कोषागार से आहरण से पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की पूर्ण जिम्मेदारी कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

(5) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से धनराशि व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

(7) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि, उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व होगा।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और, न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा, किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(9) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(10) प्रायोजन में सम्मिलित उपकरणों/संयंत्रों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-221/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-105-खाद तथा उर्वरक-04-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामें डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-1-3549-दस-2021-22, दिनॉक 02 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 07/2022/ 1589851(1)/12-2099/7/2022तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: गु0नि0-54/541/वित्तीय स्वीकृति-2021-22, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://snsanadesh.up.gov.in